



# म.प्र. लिजी विश्वविद्यालय विनियोगका आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL  
Government of Madhya Pradesh

क्र.

2454

क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/खका-1/2023-24

दिनांक 06/10/23.....

//आदेश//

मध्य प्रदेश लिजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा ८(ख) में विनिर्दिष्ट प्राक्कानों के अंतर्गत गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 187 वीं समा की बैठक दिनांक 04/10/2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में प्रेस्टिज विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) के अंतर्गत नवीन पाद्यकर्मों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से तालिका में पर्याप्त सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यादीन प्रदान की जाती है :-

क्र	संकाय	पाद्यकर्म का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (वाराष वी अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/ सुनिश्चित सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबंधित विनियोगक परिषद का आदेश तथा दिनांक	प्रकाशित अव्यादेश क्रमांक
1-		MBA	-	180	180	-	11
2-	Faculty of Management	Integrated Dual Degree Management Program – IMP (BBA+MBA)	-	60	60	-	12

शर्त :-

- उपरोक्त पाद्यकर्मों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों के मापदण्डों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाद्यकर्मों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाद्यकर्मों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाद्यकर्मों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियोगक परिषदों की गाईडलाइन के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाइन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण करना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः करना होगा।
- व्यवसायिक पाद्यकर्मों हेतु मानक एजेंसियों से योड़िंग/ मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यकर्मों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रेकिंग संस्था/ ऐजेंसियों के मापदण्डों वी पूर्ति करना होगा।
- यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाद्यकर्मों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।

निरेतर 2

06/10/23

(2)

९. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की व्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

०६/१०२२

(डॉ. के.पी. साहू)

सचिव

मोक्षनियोजियोगियोग, भोपाल  
दिनांक / 10/2023

पृष्ठांकन..... / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल / अका-1/2023-24

प्रतिलिपि-

- निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो. म.प्र. नि.वि.वि.आयोग,भोपाल।
- कुलसचिव, प्रेरिटज विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रभारी आईटी, प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- मूल नस्ती।

/  
सचिव  
मोक्षनियोजियोगियोग, भोपाल